रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250757
CG-DL-E-19122023-250757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945
No. 840] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2023

फा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./3-पीपीपीएल (06)/2022.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, -

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (च) में-

(i) "मौजूदा" शब्दों के बाद, "ट्रंक" शब्द शामिल किया जाएगा;

(ii) "ब्रांच लाइन" शब्दों के बाद, "या स्पर लाइन" शब्द शामिल किए जाएंगे;

(iii) "पाइपलाइन की "शब्द के बाद "प्राधिकृत" शब्द शामिल किए जाएँगे;

(ख) खंड (ञ) में-

(i) तथा पेट्रोलियम शब्दों "से शुरू होने वाले और "द्वारा निर्देशित होगा" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ii)"सामान्य या अनुबंध वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक भंडारण सुविधाओं के प्रभाव सहित"

(ग) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

''थ "स्पर-लाइन" का अर्थ ट्रंक या किसी अन्य स्पर लाइन से निकलने या विस्तार करने वाली पाइपलाइन है, जिसका व्यास और क्षमता ट्रंक पाइपलाइन से अधिक नहीं है,, लेकिन जिसमें एक या अधिक उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए कोई पंपिंग सुविधा नहीं है। किसी भी पाइपलाइन को, जिसमें एक अलग पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद स्रोत या एक पंप है, को स्पर-लाइन के रूप में नहीं माना जाएगा। स्पर-लाइन की लंबाई ट्रंक पाइपलाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं हो सकती है। पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए एक स्पर-लाइन को ट्रंक पाइपलाइन की क्षमता का उपयोग करना चाहिए। स्पर लाइन में ब्रांच लाइन भी शामिल है;

"(द) "टाई-इन कनेक्टिविटी" का अर्थ है एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन कनेक्टिविटी, अर्थात्: -

(i) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद स्रोत; या

(ii) किसी अन्य सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन से एक नया इंजेक्शन पवाइंट ।

(ख) विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियम (1) में, "कम से कम" शब्दों से शुरू होने वाले भाग के लिए और कोष्ठक और "(वेबहोस्टिंग सहित) प्रकाशन सहित" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पीएनजीआरबी की वेबसाइट पर इसे व्यापक प्रचार देते हुए वेबहोस्ट करें;"

(ख) उप-विनियमन (5) में,-

(i) " कम से कम " शब्दों से शुरू होने वाले और "विज्ञापन प्रकाशित करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग को , "वेबहोस्ट" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) "पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन" शब्द के बाद, "पीएनजीआरबी की वेबसाइट पर" शब्दों को और शामिल जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (9) को लोप कर दिया जाएगा।

(ग) विनियम 7 में, -

(क) उप-विनियम (1) में,-

(I) खण्ड (क) में-

(i) "दस वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"इसके प्रचालन से शुरू होने वाली पाइपलाइन के उपयोगिता काल का प्रत्येक वर्ष";

(ii "प्रशुल्क की बोली प्रत्येक दस वर्ष के लिए लगाई जाएगी", शब्दों को "प्रशुल्क की बोली प्रत्येक पच्चीस वर्ष के लिए लगाई जाएगी।" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) "पचास" शब्द के स्थान पर "चालीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) खण्ड (ख) में,-

(i) शब्द "दस वर्ष की अवधि" के स्थान पर, ""इसके प्रचालन से शुरू होने वाली पाइपलाइन के उपयोगिता काल का प्रत्येक वर्ष"; शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii), "प्रशुल्क की बोली प्रत्येक दस वर्षों के लिए लगाई जाएगी" शब्दों को "प्रशुल्क की बोली प्रत्येक पच्चीस वर्षों के लिए लगाई जाएगी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) "बीस" शब्द के स्थान पर "चालीस" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) खंड (ग) में, शब्द "तीस" के स्थान पर "बीस" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3) में,-

(i) "उप-विनियम" शब्द के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक (1) प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "मात्रा" शब्द के स्थान पर शब्द , कोष्ठक और अक्षर " सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षमता (एमएमटीपीए) को प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(iii) "परियोजना का डीएफआर" अक्षरों और शब्दों के बाद, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े, "जैसे, पाइपलाइन की लंबाई, व्यास, स्पर लाइनें, पंप तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन के लिए अन्य संबंधित सुविधा, जैसा कि विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (i) के तहत परिभाषित किया गया है, को जोड़ा जाएगा;

(ग) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उप-विनियम (1) के खंड (क) से (ख) के तहत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन टैरिफ के लिए वर्ष 1 टैरिफ बोलियां पाइपलाइन के प्रचालन के पहले वर्ष से लागू होंगी। पाइपलाइन को तब चालू माना जाएगा जब इसकी ट्रंक पाइपलाइन पूरी तरह चालू हो जाएगी। आंशिक रूप से चालू की गई ट्रंक पाइपलाइन के लिए, केवल प्रथम वर्ष का टैरिफ तब तक लागू होगा जब तक कि इसकी ट्रंक पाइपलाइन पूरी तरह से चालू नहीं हो जाती।

(6) बोर्ड पाइपलाइन के आर्थिक जीवन के बाद प्राधिकार की मंजूरी की तारीख और पाइपलाइन के प्रचालन की शुरुआती तारीख के बीच की समय अवधि के बराबर अवधि के लिए उद्धृत टैरिफ का विस्तार करेगा।";

(घ) विनियम 12 में, -

(i) उप-विनियम (1) का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यदि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है, तो कंपनी बोर्ड के विचार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी तथा बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता के विस्तार की अनुमति दे सकता है।";

(iii) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(3) उप-विनियम (2) के तहत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता के विस्तार से संबंधित प्रावधान सभी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन पर लागू होंगे जो या तो विनियम 4, 18, 19 के तहत बोर्ड द्वारा अधिकृत हैं या विनियम 17 के तहत स्वीकृत हैं जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत है:

बशर्ते कि बोर्ड ऐसे प्रस्तावित विस्तार के स्थान पर वैकल्पिक रूप से बोलियां आमंत्रित कर सकता है, यदि बोर्ड समझता है कि बोलियां आमंत्रित करने से निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक की पूर्ति होगी, अर्थात्:-

(i) कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;

(ii) निरर्थक निवेश से बचना;

(iii) आपूर्ति बनाए रखना या बढ़ाना या समान वितरण सुनिश्चित करना या पूरे देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(iv) उचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन टैरिफ पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के संदर्भ में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना;

(v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करना।";

(ङ) विनियम 21 में, -

(i) शीर्षक में, "सुधार या विस्तार" शब्दों के बाद, "या टाई-इन कनेक्टिविटी या स्पर-लाइन बिछाना" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-विनियम (1) में,-

(क) "प्रेषण टर्मिनल-" शब्दों के लिए,, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्रेषण टर्मिनल, या

(v) टाई-इन कनेक्टिविटी बिछाकर एक नया स्रोत जोड़ना, या

(vi) स्पर लाइन बिछाना – ";

(ख) पहले नियम का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे नियम में, "पाइपलाइन के विस्तार के बाद पाइपलाइन टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्रभाव के कारण टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (2), का लोप किया जाएगा;

(iv) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) यदि पाइपलाइन की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है, तो कंपनी विनियम 12 के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड के विचार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड पाइपलाइन द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पाइपलाइन की क्षमता पर विचार करने के बाद, विस्तार की अनुमति दे सकता है।

(v) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

''(6) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का विस्तार:

(i) कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की प्राधिकृत लंबाई को मांग केंद्रों में मूल बिंदु या अंतिम बिंदु से दस प्रतिशत या 50 कि.मी., जो भी कम हो, तक बढ़ा सकती है और बोर्ड को प्रस्ताव के औचित्य सहित पूर्ण विवरण, सभी सुविधाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी और बोर्ड से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करेगी:

बशर्ते कि किसी भी तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के ऐसे विस्तार के मूल बिंदु या अंतिम बिंदु से मूल बिंदु में अनुमेय अंतर निकटतम सेक्शनलाइजिंग वाल्व (एसवी) स्टेशन से अधिक नहीं होगा, लेकिन कंपनी को तकनीकी बाधाओं के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

(ii) बोर्ड, सार्वजनिक परामर्श के बाद, अनुरोध प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर कंपनी को निर्णय देगा।

(iii) विस्तार के बाद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा।

(7) टाई-इन कनेक्टिविटी:

(क) किसी सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के पास अपस्ट्रीम कनेक्टिविटी की आवश्यकता के मामले में, कनेक्टिविटी के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव संबंधित कंपनी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें स्रोतों या इंजेक्शन बिंदु सुविधाओं, आसपास के क्षेत्र में मौजूदा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बुनियादी ढांचे और प्रस्तावित टाई-इन कनेक्टिविटी की लंबाई और क्षमता के साथ मांग-आपूर्ति अनुमान का विवरण दर्शाया जाएगा।

(ख) बोर्ड हितधारकों से विचार और टिप्पणियां मांगने के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने हेतु तीस दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव को वेबहोस्ट करेगा ।

(ग) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों और टिप्पणियों के आधार पर, बोर्ड उन हितधारकों के साथ खुली चर्चा आयोजित कर सकता है जिन्होंने अपने विचार प्रदान किए हैं।

(घ) बोर्ड निम्नलिखित पद्धति के अनुसार ऐसी टाई-इन कनेक्टिविटी को अधिकृत कर सकता है, अर्थात्:-

(i) टाई-इन कनेक्टिविटी का निर्माण मुख्यत: उत्पाद स्रोत या इंजेक्शन बिंदु के पास मौजूद सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी टाई-इन कनेक्टिविटी की लंबाई सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की प्राधिकृत लंबाई बीस प्रतिशत हो, या यह अधिकतम 200 कि.मी. हो:

बशर्ते कि उत्पाद स्रोत या इंजेक्शन बिंदु के पास मौजूद एक से अधिक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के मामले में, स्रोत के निकटतम सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का स्वामित्व और संचालन करने वाली कंपनी को भौतिक रूप से निकट होने पर टाई-इन कनेक्टिविटी बिछाने से इनकार करने का पहला अधिकार होगा;

बशर्ते कि यदि सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का स्वामित्व और संचालन करने वाली कंपनियां उक्त टाई-इन कनेक्टिविटी बिछाने से इनकार करती हैं, तो बोर्ड उस इच्छुक कंपनी को अधिकृत कर सकता है जिसने नियमों और शर्तों के साथ उक्त टाई-इन कनेक्टिविटी को बिछाने का प्रस्ताव दिया था और ऐसे मामले में, इच्छुक कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए पहुंच आचार संहिता) विनियम, 2016 के संदर्भ में "शिपर" माना जाएगा;

(ii) बोर्ड विनियम 5 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित टाई-इन कनेक्टिविटी के लिए बोलियां आमंत्रित करने पर भी विचार कर सकता है;

(iii) उप-खंड (i) में दी गई लंबाई से अधिक टाई-इन पाइपलाइन कनेक्टिविटी के निर्माण के किसी भी प्रस्ताव को प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के लिए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप निपटाया जाएगा;

(8) स्पर-लाइनें बिछाना:

स्पर लाइन के लिए अनुरोध शुरू करने वाली कंपनी को बोर्ड को अपने इरादों के साथ-साथ स्पर-लाइन की लंबाई, मार्ग, क्षमता और सेवा प्रदान किए जाने वाले ग्राहकों के विवरण के बारे में सूचित करना होगा और बोर्ड अनुरोध प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर कंपनी को सार्वजनिक परामर्श के बाद अपना निर्णय देगा।

(9) बोर्ड इस विनियम के तहत प्रस्तुत ऐसे प्रस्ताव के स्थान पर वैकल्पिक रूप से बोलियां आमंत्रित कर सकता है, यदि बोर्ड यह समझता है कि बोलियों आमंत्रित करने से निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक की पूर्ति होगी, अर्थात्:-

(i) कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;

(ii) निरर्थक निवेश से बचना;

(iii) आपूर्ति बनाए रखना या बढ़ाना या समान वितरण सुनिश्चित करना या पूरे देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(iv) उचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन टैरिफ पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के संदर्भ में ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना;

(v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करना।";

(च) अनुसूची ख के भाग-II में, -

(i) "दस वर्ष" शब्द के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) "वर्ष 10" शब्द और अंक के स्थान पर "वर्ष 25" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "बोर्ड दस वर्ष के" शब्दों से शुरू होने वाले और "निर्धारित करेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग, का लोप किया जाएगा:

(छ) अनुसूची ग में, -

(i) शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) अंकों, चिह्नों और अक्षरों के लिए, "0.50 x एलएफटी1 + 0.20 x एलवीटी1 + 0.30 x एचसी1", अंक, चिह्न और अक्षर "0.40 x एलएफटी1 + 0.40 x एलवीटी1 + 0.20 x एचसी1" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) अंकों, चिह्नों और अक्षरों के लिए, "0.50 x एलएफटी2 + 0.20 x एलवीटी2 + 0.30 x एचसी2" अंक, चिह्न और अक्षर "0.40 x एलएफटी2 + 0.40 x एलवीटी2 + 0.20 x एचसी2" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) अंकों, चिह्नों और अक्षरों के स्थान पर, "0.50 x एलएफटी3 + 0.20 x एलवीटी3 + 0.30 x एचसी3" अंकों, चिह्नों और अक्षरों "0.40 x एलएफटी 3 + 0.40 x एलवीटी3 + 0.20 x एचसी3" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

वंदना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./623/2023-24]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम जीएसआर 722(अ), दिनांक 01/09/2010 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे और बाद में फा. सं. एल-एमआईएससी/VI/I/2007, दिनांक 01/01/2015 और फा.सं. वीकेएस/डीबी/03/पीपीएल, दिनांक 29.03.2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2023

F.No. PNGRB/Auth/3-PPPL(06)/2022.— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement,-**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, -

(a) in sub -regulation (1) of regulation 2,-

(A) in Clause (f),-

(i) after, the words “from an existing”, the word “trunk” shall be inserted;

(ii) after, the words, “branch line”, the words “or spur line” shall be inserted;

(iii) after the words “without increase” the words “authorized” shall be inserted;

(B) in clause (j),-

(i) for the word, “tonnes”, at both places, the word “ton” shall respectively be substituted;

(ii) for the portion beginning with the words “and for the” and ending with the words, “of the Act”, the following shall be substituted, namely:-

“including the impact of storage facilities essential for operating a petroleum and petroleum products pipeline system as common or contract carrier”

(C) after clause (p), the following shall be added, namely: -

“(q) “spur-line” means a pipeline necessarily originating or branching out from the trunk or another spur line with diameter and capacity not greater than the trunk pipeline but having no pumping facility for supply of petroleum and petroleum products to one or more consumers. Any pipeline having a separate petroleum and petroleum products source or a pump shall not be treated as a spur-line. The length of spur-line may not depend upon the length of the trunk pipeline. A spur-line must use the capacity of trunk pipeline in order to transport the petroleum products. Spur line includes branch line also;”

"(r) "tie-in connectivity" means the petroleum and petroleum products pipeline connectivity for transport of petroleum and petroleum products between a common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline and any one of the following, namely:-

(i) a petroleum and petroleum products source; or

(ii) a new injection point from another common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline."

(b) in regulation 5, -

(A) in sub- regulation (1), for the portion beginning with the words "issue an open" and ending with the brackets and words "(including webhosting) publishing", the following shall be substituted, namely: -

"webhost the same at PNGRB's website giving wide publicity regarding;"

(B) in sub-regulation (5),-

(i) for the portion beginning with the words, "publish through an" and ending with the brackets and words "newspaper (including webhosting)", the word "webhost" shall be substituted;

(ii) after the words "petroleum products pipeline", the words and letter "on PNGRB's website", shall be inserted;

(iii) sub-regulation (9) shall be omitted.

(c) in regulation 7, -

(A) in sub- regulation (1),-

(I) in clause (a),-

(i) for the words, "a period of ten years", the words, following shall be substituted, namely:-

"each year of the economic life of the pipeline starting from its operation";

(ii) for the words "The tariff shall be bid for each of the ten years" , the words "The tariff shall be bid for each of the twenty-five years." shall be substituted;

(iii) for the word "fifty" the word "forty" shall be substituted;

(II) in Clause (b),-

(i) for the words "a period of ten years", the words, "each year of the economic life of the pipeline starting from its operation" shall be substituted;

(ii) for the words, "The tariff shall be bid for each of the ten years" the words "The tariff shall be bid for each of the twenty-five years" shall be substituted;

(iii) for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted;

(III) in clause (c), for the word "thirty", the word "twenty" shall be substituted;

(B) in sub-regulation (3),-

(i) for the words "sub-regulation", the words, brackets and figure (1) shall be substituted;

(ii) for the word "volume", the words, brackets and letters "capacity (MMTPA) proposed to be created", shall be substituted;

(iii) after the letters and words "DFR of the project", the words, brackets and figures, "like, pipeline length, diameters, spur lines, pumps and other associated facility for petroleum and petroleum products pipeline as defined under clause (i) of sub- regulation (1) of regulation 2", shall be inserted;

(C) after sub-regulation (4), the following shall be added, namely: -

"(5) Year 1 tariff bids for the petroleum and petroleum products pipeline tariff under clauses (a) to (b) of sub-regulation (1) shall be applicable from 1st year of operation of the pipeline. The pipeline shall be considered operational when its trunk pipeline is fully commissioned. For partially commissioned trunk pipeline, only 1st year tariff shall be applicable till its trunk pipeline is fully commissioned.

(6) The Board shall extend the quoted tariff after the economic life of the pipeline for a period equivalent to the time period between the date of grant of authorization and the starting date of operation of the pipeline." ;

(d) in regulation 12, -

(i) sub-regulation (1) shall be omitted;

(ii) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) In case it is proposed to expand the capacity of the petroleum and petroleum products pipeline, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board and the Board may allow for expansion of the capacity in the petroleum and petroleum products pipeline.";

(iii) after sub-regulation (2), the following shall be added, namely-

"(3) The provisions regarding expansion of capacity in petroleum and petroleum products pipeline under sub-regulation (2) shall be applicable to all petroleum and petroleum products pipeline either authorized by the Board under regulation 4, 18, 19 or accepted under regulation 17 as authorized by the Central Government:

Provided that the Board may alternatively invite bids in place of such proposed expansion, if it is opined by the Board that invitation of bids shall serve one or more of the following objectives, namely:-

(i) promoting competition among entities;

(ii) avoiding infructuous investment;

(iii) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensure adequate availability of petroleum and petroleum products throughout the country;

(iv) protection of customers' interest in terms of availability of petroleum and petroleum products at reasonable petroleum and petroleum products pipeline tariff;

(v) incentivizing rapid development of petroleum and petroleum products pipeline infrastructure.";

(e) in regulation 21,-

(i) in heading, after the words "expansion or extension", the words, "or tie-in connectivity or laying of spur-lines" shall be inserted;

(ii) in sub-regulation (1),-

(A) for the words, "the dispatch terminal-", the following shall be inserted, namely: -

"dispatch terminal, or

(v) add a new source by laying Tie-in connectivity, or

(vi) lay a spur line – ";

(B) the first proviso shall be omitted;

(C) in the second proviso, for the words "there shall be no change in pipeline tariff post-extension of pipeline" the words, "that there shall be no change in the tariff due to such effect" shall be substituted;

(iii) sub-regulation (2), shall be omitted;

(iv) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) In case it is proposed to expand the capacity of the pipeline, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board in consonance with the provisions of regulation 12 and the Board may, after considering the proposal, allow for expansion of the capacity in the pipeline without adversely affecting the customers served by the pipeline.";

(v) after sub-regulation (5), the following shall be added, namely: -

"(6) Extension of a petroleum and petroleum products pipeline:

(i) The entity may extend the authorized length of the petroleum and petroleum products pipeline up to ten per cent. or 50 kilometer, whichever is lower, from the point of origin or the end point in the demand centres and shall submit to the Board the full particulars, map of all facilities including justification for the proposal and seek prior authorization from the Board:

Provided that in case of any technical constraints, the allowed variation in the originating point of such extension of the petroleum and petroleum products pipeline from the point of origin or the end point shall not exceed beyond the nearest sectionalizing valve (SV) station, but the entity shall be required to provide the detailed justifications for the technical constraints.

(ii) The Board, after public consultation, shall give a decision to the entity within sixty days of the receipt of the request.

(iii) There shall be no change in the petroleum and petroleum products pipeline tariff post extension.

(7) Tie-in Connectivity:

(a) In case of the upstream connectivity requirement near a common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline, a detailed proposal for the connectivity shall be submitted by the concerned entity to the Board indicating the details of the sources or injection points facilities, existing petroleum and petroleum products pipeline infrastructure in vicinity and demand-supply projections along with the length and capacity of the proposed tie-in connectivity.

(b) The Board shall webhost the proposal for a period of thirty days for initiating the public consultation process seeking views and comments from the stakeholders.

(c) Based upon the views and comments received during the public consultation process, the Board may conduct an open house discussion with the stakeholders who have provided their views.

(d) The Board may authorize such tie-in connectivity as per the following methodology, namely:-

(i) Tie-in connectivity shall be preferably constructed by the entity owning the common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline existing near the product source or injection point provided that the length of such tie-in connectivity is twenty per cent. of the authorized length of the common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline subject to a maximum of 200 kilometer:

Provided that in case of more than one petroleum and petroleum products pipeline existing near the product source or injection point, the entity owning and operating the common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline nearest to the source shall have first right of refusal for laying tie-in connectivity subsequently in the order of physical proximity;

Provided further that in case the entities owning and operating the common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline refuse to lay the said tie-in connectivity, the Board may authorize the interested entity who initiated the proposal with the terms and conditions to lay the said tie-in connectivity and in such a case, the interested entity shall be considered as "shipper" in terms of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code of Conduct for Common Carrier or Contract Carrier Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016;

(ii) The Board may also consider inviting bids for the subject tie-in connectivity as per the provisions of sub-regulation (5) of regulation 5;

(iii) Any proposal to construct tie-in pipeline connectivity exceeding the length as provided in sub-clause (i) shall be dealt in line with the relevant provisions of the regulations for competitive bidding route;

(8) Laying of spur-lines:

The entity initiating the request for a spur line shall inform the Board of its intentions along with the full details on the spur-line length, route, capacity and details of the customers to be served and the Board after public consultation shall give its decision to the entity within sixty days of the receipt of the request.

(9) The Board may alternatively invite bids in place of such proposal submitted under this regulations, if it is opined by the Board that invitation of bids shall serve one or more of the following objectives, namely:-

(i) promoting competition among entities;

(ii) avoiding infructuous investment;

(iii) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensure adequate availability of petroleum and petroleum products throughout the country;

(iv) protection of customers' interest in terms of availability of petroleum and petroleum products at reasonable petroleum and petroleum products pipeline tariff;

(v) incentivizing rapid development of petroleum and petroleum products pipeline infrastructure.";

(f) in Part – II of Schedule B,-

(i) for the words "ten years", the words "twenty five years", shall be substituted;

(ii) for the word and figures "Year 10" the word and figures "Year 25" shall be substituted;

(iii) The portion beginning with the words "The Board shall" and ending with the words "on prospective basis." shall be omitted :

(g) in Schedule C,-

(i) for the words "ten years" the words, "twenty five years" shall be substituted;

(ii) for the figures, marks and letters, "0.50 x LFT1 + 0.20 x LVT1 + 0.30 x HC1", the figures, marks and letters "0.40 x LFT1 + 0.40 x LVT1 + 0.20 x HC1" shall be substituted ;

(iii) for the figures, marks and letters, "0.50 x LFT2 + 0.20 x LVT2 + 0.30 x HC2" the figures, marks and letters "0.40 x LFT2 + 0.40 x LVT2 + 0.20 x HC2" shall be substituted ;

(iv) for the figures, marks and letters, "0.50 x LFT3 + 0.20 x LVT3 + 0.30 x HC3" the figures, marks and letters "0.40 x LFT3 + 0.40 x LVT3 + 0.20 x HC3" shall be substituted.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./623/2023-24]

Footnote: The Principal regulations were notified vide G.S.R. 722(E), dated 01/09/2010 and subsequently amended vide F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01/01/2015 and F. No. VKS/DB/03/PPL, dated 29.03.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.12.19 22:29:09 +05'30'